संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78/दस-2018-04(एम)/2016

प्रेषक

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 31 जनवरी 2018

विषय - पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 से भाग-4 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित की गई। उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 में वेतन मैट्रिक्स में नियुक्ति/पदोन्नति/ए0सी0पी0 प्राप्त होने पर अगली वेतनवृद्धि की तिथि निर्धारित की गई है। शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-8 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :--

वेतन मैट्रिक्स में अगली वेतनवृद्धि की तिथि

(1) 01 जुलाई की विदयमान तिथि के स्थान पर वेतनवृद्धि की दो तिथियॉ होंगी अर्थात प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई। प्रत्येक कार्मिक को नियुक्ति, प्रोन्नति या ए0सी0पी0 प्राप्त होने की तिथि के अनुरूप 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई में से केवल एक तिथि को वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त होगी।

(2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनियिचत कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जनवरी को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उसे 01 जुलाई को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो और ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है, को आगामी 01 जुलाई को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि उन्हें 01 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य न हुआ हो।

<u>उदाहरण</u>

(क) ऐसे कर्मचारी जिन्हे दिनांक 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी 2017 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली 01 जुलाई 2017 को वेतनवृद्धि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी, कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जुलाई 2018 को देय होगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 02 जनवरी 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में (दोनों दिवसों सहित) नियुक्ति या प्रोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ है, को अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी 2017 को इस शर्त के अधीन देय होगी कि उक्त कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2016 को कोई वेतनवृद्धि आहरित न की गई हो और इसके बाद वेतनवृद्धि वार्षिक आधार पर अर्थात 01 जनवरी 2018 को देय होगी।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन मैट्रिक्स में मूलवेतन दिनांक 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है और वह उसी लेवल में बने हुए हैं तो उस लेवल में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2016 को देय होगी और इसके उपरान्त अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
मुकेश मित्तल
सचिव।

<u>संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78(1)/दस-2018 तददिनांक</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।